<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 08/11/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 07.11.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01. थाना जंगीपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 223/25 धारा 115(2)/352/351(3)/110/121(1)/132 बीएनएस एवं 7 सी0एल0ए0 एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.11.2025 को उ0नि0 श्री हरिश्चन्द्र वर्मा मय हमराह के द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम पीथापुर से मु0अ0सं0 223/25 धारा 115(2)/352/351(3)/110/121(1)/132 बीएनएस एवं 7 सी0एल0ए0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजीव कुमार भारती पुत्र देवचन्द राम निवासी ग्राम पीथापुर थाना जंगीपुर गाजीपुर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

01. राजीव कुमार भारती पुत्र देवचन्द राम नि0 ग्राम पीथापुर थानाजंगीपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 223/25 धारा 115(2)/352/351(3)/110/121(1)/132 बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर।

<u>2. सादात पुलिस टीम द्वारा कथित मृतका को किया गया सकुशल जिंदा बरामद।</u>

<u>मिशन शक्ति अभियान 5.0 व अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलायें जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी सैदपुर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष सादात मय टीम द्वारा आज दिनांक 07.11.2025 को वादिनी की पुत्री कथित मृतका को जिन्दा सकुशल बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।</u>

घटना विवरण - उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.10.2025 को वादिनी राजवन्ती देवी पत्नी स्व0 रामजी दास निवासी ग्राम बरहपार भोजूराय थाना सादात जनपद गाजीपुर द्वारा अपनी पुत्री को उसके ससुरालीजन द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करते हुए उसकी हत्या कर उसकी लाश को गायब कर दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 198/25 धारा 191(2),85, 80(2), 238, 352,3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचनात्मक कार्यवाही श्रीमान क्षेत्राधिकारी सैदपुर गाजीपुर द्वारा संपादित की गयी। इलेक्ट्रानिक अभिलेखों व साक्ष्य संकलन से ज्ञात हुआ कि वादिनी की पुत्री रुचि (काल्पनिक नाम) जीवित है और वर्तमान समय में ग्वालियर प्रान्त मध्य प्रदेश में है। पीडिता की बरामदगी हेतु श्रीमान क्षेत्राधिकारी सैदपुर द्वारा थाना सादात से पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उच्चाधिकारीगण से गैर प्रान्त जाने की अनुमति प्राप्त कर गठित टीम को रवाना किया गया। पीडिता की पतारसी सुरागरसी के क्रम में पाया गया कि पीडिता ग्वालियर से निकल कर सादात क्षेत्र में आ रही है। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों व मुखबिर के आधार पर रुचि (कथित मृतका) को जिन्दा व सकुशल बरहेता पुल के पास थाना सादात गाजीपुर से बरामद कर लिया गया तथा वादिनी को उसकी पुत्री के जिन्दा होने व कुशलता की सूचना दी गयी तथा बरामद पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराने हेतु चिक्तिसालाय रवाना किया गया। झूठी घटना व संलिप्तता के साक्ष्य पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा अग्रेतर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदशुदा कथित मृतका -

01. रुचि कुमारी (काल्पनिक नाम) पुत्री श्री रामजी राम निवासी ग्राम बरहपार भोजूराय थाना सादात गाजीपुर, पति राजेन्द्र पुत्र फूलचन्द निवासी ग्राम हथौडा थाना खानपुर गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का स्थान व दिनांक –

1.दिनांक 07.11.2025 बरेहता पुल थाना सादात गाजीपुर

3. थाना जमानियां मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं एवं लड़कियों पर छीटाकशीं करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

मिशन शक्ति अभियान 5.0 एवं अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत मिशन शक्ति टीम थाना जमानियां द्वारा आज दिनांक 07.11.2025 को उ0नि0 राजकुमार यादव मय हमराह के द्वारा गंगा पुल कस्बा जमानियाँ से गंगापुल के रेलिंग के पास खड़े होकर आने जाने वाली महिलाओं एवं लड़कियों पर छीटाकशी करना व सामने से गुजरने वाली महिलाओं व बच्चियों को अश्लील टिप्पणी करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.इरशाद खान पुत्र निहालुद्दीन खान ग्राम धानापुर थाना धानापुर जनपद चंदौली उम्र करीब-25 वर्ष

2.अल्ला रखा उर्फ शीटू पुत्र अख्तर अली ग्राम धानापुर थाना धानापुर जनपद चंदौली उम्र करीब-20 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-405/2025 धारा-296 बीएनएस थाना जमानियाँ गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर